झारखण्ड लोक सेवा आयोग,

सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि पंचम संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल सभी मापदण्डों का अनुपालन करते हुए सम्यक विधिक्षा एवं पारदर्शी मूल्यों के अनुरूप नियमानुसार प्रकाशित किया गया है। इस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एवं उत्तर–पुस्तिका में दिए गए अनुदेश के माध्यम से स्पष्ट सूचित किया गया था कि प्राप्तांकों का टेबूलेशन कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा, अतएव उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर OMR आधारित सूचनाएँ सही एवं पूर्णरूपेण भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी तथा उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल में वैसे अभ्यर्थी जो सभी सात पत्रों में उपस्थित नहीं हो सके या जो अभ्यर्थी सामान्य हिन्दी के साथ–साथ सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषयों में प्राप्त अंकों के योगफल में न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त नहीं कर सके या वैसे अभ्यर्थी जो उत्तर पुस्तिका में दिये गए OMR पर अनुक्रमांक, विषय, विषयकोड आदि सूचना के विरूद्ध चिन्हित गोलों को सही रूप से नहीं भर पाये उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं में दिये गए अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई है एवं मेधा सूची के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के विरूद्ध तीन गुणा अनुपात एवं समान अंक पानेवाले अभ्यर्थियों की गणना कर 824 अभ्यर्थियों का चयन अन्तर्वीक्षा के लिए किया गया। तदनुरूप आयोग में लिखित परीक्षा में सफल 824 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

सिविल जज (जूनियर डिविजन) मुख्य परीक्षा में OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं के गोला रंगने के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है तथा संबंधित दायर याचिका खारिज कर दी है।

जहाँ तक तथाकथित रूप से 618 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका रद्द करने का प्रश्न है, यह सूचना सर्वथः भ्रामक है। आयोग अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त संबंधित सारी सूचनाएं सार्वजनिक करेगा।

पंचम संयुक्त असैनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में ओ0एम0आर0 सीट के गोले को सही ढंग से नहीं रंगने के कारण बहुत से असफल अभ्यर्थियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिसमें उनलोगों द्वारा समान व्यवहार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यहां सभी कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एवं नियमानुसार किये जाते हैं।

ह0/–

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची